न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-256RAAJodhpur2023-128RTA223 Ranaram ors Vs Magaram etc
2023-255RAAJodhpur2023-129RTA223 Ranaram ors Vs Magaram etc

01. राणाराम पुत्र केसुराम
02. किलाराम पुत्र केसुराम
03. रावलराम पुत्र केसुराम
04. पप्पाराम पुत्र केसुराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम बालेसर, सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मगाराम पुत्र उदाराम
02. देवाराम पुत्र जसाराम
03. पेमाराम पुत्र जसाराम
    जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022
सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021
मगाराम बनाम राणाराम इत्यादि

———————

(02)2023-255RAAJodhpur2023-129RTA223 Ranaram ors Vs Magaram etc

01. राणाराम पुत्र केसुराम
02. किलाराम पुत्र केसुराम
03. रावलराम पुत्र केसुराम
04. पप्पाराम पुत्र केसुराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम बालेसर, सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मगाराम पुत्र उदाराम
02. देवाराम पुत्र जसाराम
03. पेमाराम पुत्र जसाराम
    जातियान् माली, निवासीगण– ग्राम बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023
सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021
मगाराम बनाम राणाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 04

नि र्ण य

दिनांक : 14 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसरं द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान मगाराम बनाम राणाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 21 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से दोनो में अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1245 रकबा 11.12 बीघा ग्राम

बेलवा तहसील बालेसर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022 पारित कर तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेष दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 128/2023 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक17 अप्रैल 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 129/2023 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ एकतरफा पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये जाने के पष्चात दिनांक 31.08.2021 को तारीख पेषी रखी गई, जबकि उस समय कोविड–19 महामारी के कारण आपातकाल लागू होने के कारण कोई भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन उक्त उक्त वकालतनाते को भी ऑर्डरषीट पर नही लिया गया तथा गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही की गई। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लिये बिना, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उभय की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर केवल वादी के हिस्से तक का ही विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेष दिये गये जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है तथा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काष्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। बंटवाड़ा प्रस्ताव में मौके की कीमती भूमि एवं सड़क पर स्थित भूमि प्रत्यर्थीगण के हिस्से में रख दी गई तथा अपीलांट्स को सड़क से दूर भूमि दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा

वादग्रस्त आराजी में से रकबा 1.12 बीघा भूमि जरिये बेचाननामा के देवाराम एवं पेमाराम से खरीद की थी तथा मौके पर दोनो परिवारों का सड़क के हिसाब से आधा–आधा हिस्सा बंट में आया हुआ है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काष्त है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या एक का हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के साथ ही रखा जा सकता है। वादी की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीया विधिक प्रावधानों क विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

दोनो अपीलो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्रीयॉ पारित किये जाने से अपीलाधनी निर्णय एवं डिक्रीयों की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थीगण पटवारी हल्का को साथ में लेकर आये तथा अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने की धमकी दिये जाने तथा बंटवाड़ा करवाकर सड़क का हिस्से अपने पक्ष में रखे जाने का कथन किये जाने पर अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17 जुलाई 2023 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 18 जुलाई 2023 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों की नकले लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपीले प्रस्तुत की है। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जावे एवं अपीले अदंर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसरं द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान मगाराम बनाम राणाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिनुसार वाद के पुनः निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा दोनो अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रष्न है, अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील होने पर अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31 अगस्त 2021 को उपस्थित हुए है, जिसकी पुष्टि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वकालतनामे से होती है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 28 पर उपलब्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्समय कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पक्षकारान् को न्यायालय में उपस्थित होना मुष्किल था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वकालतनामे को रेकर्ड पर लिये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों की जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा दोनो अपीले गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1245 रकबा 11.12 बीघा में अपीलांट्स 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज तथा शेष 1/2 हिस्से में रेस्पोडेंट्स सहखातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रसत आराजी में रकबा 1.11 बीघा खातेदार दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते वक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज सभी पक्षकारान् के मध्य विभाजन का आदेष पारित न कर केवल वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक के हिस्से की रकबा 1.11 बीघा भूमि का विभाजन किये जाने का आदेष पारित किया गया है। अपीलांट्स भी अपने हक–हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति

अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30 जनवरी 2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बालेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है तथा मुख्य सड़क पर सभी पक्षकारान् के हिस्से अनुसार समानुपात में भूमि न रखकर केवल वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या एक को सड़क पर भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसरं द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 अनवान मगाराम बनाम राणाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार वाद का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर